

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाडा (राज0)

पीठारसीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 129/2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

भीलमल पुत्र चन्दा भील निवासी रहड

- प्रार्थी

बनाम

- 1- कैलाश पुत्र कजोड भील निवासी रहड
- 2- फलवन्तर पत्नी शंकर सिंह निवासी रहड
- 3- मुरा पुत्र कालू दरोगा निवासी रहड

विपक्षीयण

उपस्थित - श्री राजेश वर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

--: निर्णय ::--

दिनांक - 11/01/21

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीयण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं - प्रार्थी के ग्राम रहड तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 1519/4 रकबा 0.25 है0 कुल किता 1 रकबा 0.25 है0 हैक्टेयर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण पडीसी हुए प्रार्थी पर, विपक्षीयण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होना रहता है। अतः पत्थरगढी करवाई जावे।

प्रकरण पजीबद्ध किया जाकर विपक्षीयण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीयण वादग्रस्त सूचना उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमारे पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम रहड संवत 2076 से 2079 तक का जमाबन्दी दिया, उपरोक्त वर्णित आराजीयात् का प्रार्थी खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढी करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा रहड में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 1 रकबा 0.25 है0 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढी ऑफ सीजन में किया जाये। तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस 50/- कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढी मौका पचा पचा करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/01/21 को सरे ईजलारा सुनाया गया।



(शिल्पा सिंह IAS
उपखण्ड अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाडा) राज.

प्रतिलिपि - तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाडा) राज.